

सेवा में,

माननीय प्राचार्य महोदय,
केन्द्रीय विद्यालय.....

विषय :- सुरक्षा प्रहरी के लिए निविदा प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में प्रार्थना है कि विद्यालय द्वारा सुरक्षा प्रहरी के लिए राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 01.11.2020 में मांगी गयी निविदा हेतु सुरक्षा कार्य करने के लिये हमारी फर्म इच्छुक है। विद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र में निर्धारित निम्नलिखित सभी शर्तों को मानते हुए फर्म कानि विदा पत्र प्रस्तुत है -

1. सुरक्षा के ठेके हेतु फर्म राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पंजीकृत होनी चाहिए। जिसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र साथ में सलग्न है।
2. फर्म प्रपत्र 3 (राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान 1958) का धारक हो।
3. पेन संख्या एवं जी.एस.टी. संख्या का होना अनिवार्य है।
4. निविदा के साथ प्रस्तुत (Earnest Money) के रूप में रुपये 30,000/- का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेकजो "VVN A/c KV.No.1 Jaipur" के पक्ष में जयपुर शाखा पर देय है सलग्न है।
5. फर्म के पक्ष में निविदा खुलने पर अनुबन्ध के समय सुरक्षा निधि के रूप में कुल रुपये 170,000/- (एक लाख सत्तर हजार) जमा कराए जाएंगे। फर्म द्वारा जमा कराई गई स्तदमेज डबदमल राशि रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) के अतिरिक्त फर्म द्वारा रुपये 140,000/- (एक लाख चालीस हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा विद्यालय में जमा करवाए जाएंगे। अर्थात् जिस फर्म के साथ सुरक्षा का अनुबंध होता है उसकी ओर से अनुबन्ध के समय जमा सुरक्षा निधि के रूप में विद्यालय में कुल रुपये 170,000/- (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र) 31.01.2022 तक जमा रहेंगे। फर्म द्वारा अनुबंध/निविदा की किसी भी शर्त का खंडन/उल्लंघन करने पर सुरक्षा निधि की राशि विद्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी। जिसका प्रोपराइटर द्वारा क्लेम नहीं किया जाएगा।
6. फर्म द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है कि फर्म केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर में से जो भी अधिक होगी, उस दर से सम्पूर्ण समयावधि (01.12.2020 से 30.11.2021) के लिए मेरी फर्म कार्मिकों को भुगतान करेगी। कार्मिकों को भुगतान की गई मजदूरी, तथा दायित्वों (ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई) का प्रति माह विद्यालय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्मिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान फर्म द्वारा रेखांकित चेक से किया जाएगा। कार्मिकों का बैंक खाता विद्यालय परिसर में स्थित केनरा बैंक की शाखा में फर्म द्वारा खोला जाएगा। कार्मिकों के खाते में रेखांकित चेक से जमा राशि की प्रविष्टि पास बुक में दर्ज करवाकर पास बुक की फोटोकॉपी अगले माह के बिल के साथ जमा करवानी होगी।
8. सुरक्षा कार्य की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से विद्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ भरकर दी गयी है। फर्म ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि विद्यालय द्वारा फर्म की कोई भी नयी शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय को अमानत राशि (Earnest Money) जब्त करने का अधिकार होगा।
10. विद्यालय द्वारा बिल की राशि में से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य टैक्स काटकर भुगतान किया जायेगा।
11. EPF एवं ESI की राशि कार्मिक के खाते में प्रतिमाह जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा उसकी रसीद व EPF पास बुक विद्यालय को प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक कार्मिक का EPF एवं ESI खाता संख्या पूर्ण रिकॉर्ड सहित विद्यालय में जमा करवा दिया जायेगा।
12. फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन नियुक्ति के 15 दिन के भीतर फर्म द्वारा करवाकर विद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
13. फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों का चरित्र एवं व्यवहार विद्यालय की गरिमा के अनुरूप रहेगा। शराब पीकर विद्यालय में ड्यूटी पर आना/धूम्रपान करना/गुटखा खाना/किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का उपयोग कर विद्यालय में सुरक्षा गार्डों के आने पर अमानत राशि जब्त कर ठेका रद्द कर दिया जाएगा।
14. सभी कार्मिक वर्दी में आयेगे। रात्रि के समय तैनात सुरक्षा कर्मी व्हीसल(सीटी) बजाते हुए विद्यालय का पहरा देते रहेंगे। ड्यूटी के दौरान प्रत्येक सुरक्षा गार्ड का आई.डी. कार्ड साथ में रहेगा।
15. ड्यूटी पर नियुक्त किया जाने वाला कोई भी कार्मिक 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा।
16. सुरक्षा कर्मी प्रत्येक 08 घण्टे के बाद बदलते रहेंगे।

17. प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को सप्ताह में एक दिन का आराम (Rest) दिया जायेगा।
18. सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय द्वारा ठेका रद्द करने तथा फर्म की जमानत राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
19. विद्यालय पर सेवा कर लागू होने की स्थिति में सेवा कर जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म द्वारा सेवा कर जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत करने पर विद्यालय की सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर राशि प्रतिमाह विद्यालय द्वारा फर्म को भुगतान कर दी जायेगी।
20. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय सहित अन्य सभी कानूनों की अनुपालना फर्म द्वारा की जाएगी।
21. विद्यालय में ड्यूटी के दौरान किसी भी कार्मिक की किसी भी प्रकार की हानि/दुर्घटना होने पर विद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। उसके लिये फर्म अथवा कार्मिक उत्तरदायी रहेगी।
22. फर्म की सुरक्षा के दौरान विद्यालय में किसी भी प्रकार की हानि या चोरी होने पर, विद्यालय को हुई हानि की राशि का सम्पूर्ण भुगतान फर्म द्वारा विद्यालय को किया जाएगा। इस हानि या चोरी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों से समायोजित कर ली जायेगी। हानि या चोरी की राशिसुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों की कुल राशि से अधिक होने पर फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति से हानि की राशि का भुगतान विद्यालय को करना होगा। अतः फर्म द्वारा यह समझ लिया गया है कि सुरक्षा के अनुबन्ध के दौरान सम्पूर्ण हानि या चोरी की राशि विद्यालय को भुगतान के लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगी।
23. फर्म द्वारा विद्यालय की सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिक व सिविल सुरक्षा कर्मी, दोनों की दरें प्रस्तुत संलग्न प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत हैं।
24. विद्यालय कार्यादेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक व सिविल सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने की पूर्ण जिम्मेवारी फर्म की रहेगी।
25. फर्म की सेवाओं से सन्तुष्ट नहीं नहीं होने परबिना कारण बताये किसी भी समय अनुबन्ध रद्द करने का विधिक अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
26. निविदा की वैधता निविदा के शुरू होने की तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी। फर्म द्वारा दी जा रही सेवाओं से सन्तुष्ट होने की स्थिति में समयावधि दोनों पक्षों की सहमति से एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है। सेवाओं में किसी भी तरह की कमी पाई जाने पर अथवा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निर्धारित समय से पूर्व भी अनुबन्ध रद्द कर दिया जाएगा।
27. टेलैक्स/प्रतिकृति निविदा स्वीकृत नहीं होगी तथा प्रत्येक निविदा दाता की केवल एक ही निविदा स्वीकार की जायेगी। फर्म द्वारा प्रस्तुत दरों में कटिंग व ओवरराइटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 28-मुहरबंद निविदाएं दिनांक 02.11.2020 से 20.11.2020 तक (दिनांक 20.11.2020 को दोपहर 01:00 बजे तक) विद्यालय कार्यालय में केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20.11.2020 को दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं एवं विद्यालय समिति के समक्ष प्राचार्य कक्ष में खोली जायेगी।
- 29- निविदाएँ केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकृत की जाएँगी/व्यक्तिश निविदाएँ स्वीकृत नहीं होगी।
30. निविदा कर्ता प्रत्येक कार्य (सेवाओं) के लिए अलग-अलग आवेदन करेगा।
31. निविदाकर्ता को निविदा की शर्तें एवं अन्य दस्तावेज अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे तथा फार्मेट ऑफ बिड के साथ अमानत राशि व निविदा शुल्करूपये 200 की जमा पर्ची संलग्न कर अलग बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी तथा दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील कर लिफाफे के ऊपर जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की है अंकित करना होगा।
32. निविदा शुल्क रूपये 200 प्रतिकार्य के लिए विद्यालय में विद्यालय विकास निधि के वि.क्रमांक -1 जयपुर के नाम खाता संख्या 369202010070408 आई एफ एस सी कोड UBIN0536920 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर में जमा कराने के पश्चात जमा रसीद निविदा प्रपत्र के फार्मेट ऑफ बिड के साथ संलग्न करनी होगी। जो निविदा कर्ता निविदा शुल्क जमा नहीं करायेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी और निविदा निरस्त करने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
33. फर्म ने यह समझ लिया है कि विद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र के कॉलम संख्या 36 के प्रारूप (Format of Bid) में ही निविदा की दरें प्रस्तुत की जाएगी। **FORMAT OF BID** के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरें अंतिम मानी जायेंगी। कॉलम संख्या-3 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भरना आवश्यक है। न्यूनतम मजदूरी दर से कम भरने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
34. निविदा खुलने पर अनुबन्ध देने अथवा नहीं देने का विधिक अधिकार प्राचार्य एवं विद्यालय समिति को होगा।
35. उपरोक्त सहित अन्य सभी शर्तें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होगी।

36. FORMAT OF BID

S. No.	Category of Security Guard	Remuneration per day per security Guard (in Rs.)	EPF Rate (in Rs.) per day per security guardas prescribed by EPF Department as on date	ESI Rate (in Rs.) per day per security guard as prescribed by ESI Department as on date	Service Charges/Charges of Uniforms/Bonus etc. including overhead profit (in Rs.) per day per security guard	Total (Col. No. 3&6) (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ex-Servicemen Security Guard without arms/Home Guard					
2	Civil-Security Guard					

नोट :-

1. सेवा शुल्क की दर बिड के कॉलम संख्या 03 पर निर्धारित की जायेगी। जो कि राशि अथवा दर प्रतिशत है।
2. सेवा कर की राशि **FORMAT OF BID** में सम्मिलित नहीं है। लागू होने की स्थिति में विद्यालय अलग से भुगतान करेगा।
3. बिड फार्मेट के कॉलम संख्या 06 में सेवा शुल्क रुपये 1.00 से कम भरने पर निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
- 4- अनुबन्ध की अवधि के दौरान न्यूनतम मजदुरी दर बढ़ने पर फर्म द्वारा कार्मिको को बढी हुई दर पर भुगतान किया जायेगा। विद्यालय द्वारा भी फर्म को बढी हुई दर पर ही भुगतान किया जायेगा।
- 5- कॉलम संख्या-7 में 02 या 02 से अधिक फर्मों की दरें समान रहने पर किसी भी एक फर्म को अनुबन्ध देने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिसकी मुझ प्रोपराईटर को कोई आपत्ति नहीं है, नाही मेरा कानूनी अधिकार रहेगा।
- 6- विद्यालय द्वारा **FORMAT OF BID** के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरे अंतिम की जायेगी। मैं तथा मेरी फर्म निविदा प्रपत्रमें उपर्युक्त उल्लेखितसभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करते हुए अनुबन्धित हूँ।

जिसके लिए निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि (**Earnest Money**) के रूप में रु. 30,000/- (रु. तीस हजार मात्र) की राशि का बैंकर्स चेक/डी.डी. सं. दिनांकसंलग्न है।

संलग्न दस्तावेजों का विवरण :-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

भवदीय,

प्रोप्राईटर के हस्ताक्षर

प्रोप्राईटर का नाम

फर्म का नाम

फर्म का पता

फोन नं.

TIN No/GST No

PAN No.

फर्म की मोहर